

नई NCERT पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाई गई

सरोत: द हिंदू

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training- NCERT) ने वर्ष 2024 में जारी होने वाली कक्षा 3 और 6 की कई पाठ्यपुस्तकों से संवधान की प्रस्तावना को हटा दिया है।

NCERT ने स्पष्ट किया है कि संगठन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र विकास के लिये<u>प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों,</u>
मौलिक अधिकारों और राष्ट्रगान सहित भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्रस्तावना:

- संविधान की प्रस्तावना संविधान में निहिति मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिब है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि:
 - ॰ भारत एक **संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनरिपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** बनेगा <mark>जो लोगों के लिये न्याय, समानता और स्वतंत्रता</mark> हेतु प्रतिबद्ध होगा।
 - इसका उद्देश्य **राष्ट्र की एकता और अखंडता** बनाए रखने के लि<mark>ये भाईचारे को बढ़ावा</mark> देना है।
 - ॰ संवधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है।
 - ॰ इसे **26 नवंबर, 1949** को अपनाया गया था।
- <u>केशवानंद भारती केस, 1973</u> और **केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, 1995** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिनन अंग है।
- प्रस्तावना **मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती** है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

अधिक पढ़ें: भारतीय संवधान की प्रस्तावना

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/preamble-removed-from-new-ncert-textbooks